न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी बनाम रामलालS/o सुखराम

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :– 58/18

निर्णय दिनाँक :– 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम .... की आ॰ख॰न॰ 1529 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन गैरमु॰ मरघट में से 0.01 हैक्टर रकबे पर श्री रामलाल S/o सुखराम ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कच्चा घर टीनशेड बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिटपुरी द्वारा दिनाँक 14/2/18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामलालS/o सुखराम .... निवासी सिटारेड़ा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी बावजूद तस्दीक तामील उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ॰ख॰न॰ 1529 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमुमकिन मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise का 50 गुणा 14/- चौदह रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु सीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी .... भू॰अ॰निरी॰ टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)